हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या 2207/16 बनाम अचलाराम/अ[illegible]	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर सनावडा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 1-6-18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर सनावडा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर **आदेश**	
01.06.2018	यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र सनावडा पर पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी संख्या 01 अचलाराम उपस्थित जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा द्वारा दी गई। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा रियागपुरा पटवार मण्डल सनावडा में खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.10 बीघा खसरा नम्बर 1106/1017 रकबा 38.04 बीघा कुल रकबा 38.14 बीघा भूमि के आये हुए है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के काश्त व कब्जे की खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण के सेढा सेढ अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1190/1017 रकबा 12.16 बीघा खसरा नम्बर 1187/1017 रकबा 29.18 बीघा कुल भूमि 38.14 बीघा भूमि अंकित है तथा खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.04 बीघा खसरा नम्बर 1188/1017 रकबा 38.10 बीघा कुल रकबा 38.14 बीघा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की खातेदारी में आये हुए है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की खातेदारी में अंकित मूल खसरा नम्बर 1017 का विभाजन आपसी सहमति के आधार पर न्याय आपके द्वार अभियान–2015 में भूमि विभाजन हुआ और विभाजन के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी मे अंकित हुई। भूमि विभाजन का नक्शा मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार तैयार नही करने से लठ्ठा ट्रेस में भूमि की तरमीम गलत अंकित की गई है, जिसे दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थीगण ने निवेदन किया है।	हिरा अचलाराम (हस्ताक्षर) पूजा सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा प.स. बाडमेर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाडमेर

PTO.

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 2207/2016 अनवान कलाराम बनाम अचलाराम	नम्बर तारीख जो ता... तामील हुए
	प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकरण में न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में बमुकाम अटल सेवा केन्द्र सनावडा मे मजमे आम में सुनवाई की गई एवं पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2015 दिनांक 23.06.2015 को बमुकाम सनावडा में दोनों पक्षो के मध्य उनकी खातेदारी भूमि का विभाजन मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा स्वीकार किया गया और मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी चौसाला एवं लट्ठा ट्रेस मे अमल दरामद किया गया। लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम भूमि विभाजन प्रस्ताव एवं मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार की गई है, जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही है। अतः तहसीलदार बाडमेर एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदनानुसार पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा राजस्व अभिलेख मे अंकन किया गया है, जिसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुद्धिकरण नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर	

Scanned by CamScanner